राष्ट्रीय गंगा नदी अधिकार अधिनियिम 2014 (प्रस्तावित)

गंगा एक्शन परिवार और ग्लोबल इंटरफेथ वॉश एलांयस द्वारा प्रस्तुत

WWW.GANGAACTION.ORG

WWW.I-WASH.ORG

राष्ट्रीय गंगा नदी अधिकार अधिनियिम 2014 (प्रस्तावित) का संक्षिप्त सारांश

हालांकि भारत के पर्यावरणीय संसाधनों, राष्ट्रीय धरोहरों जैसे कि गंगा नदी के संरक्षण हेतु कानून के द्वारा कई प्रावधानों का निर्माण किया गया है, फिर भी कानून के प्रति प्रतिबद्धता व प्रावधानों के क्रियान्वयन के अभाव के कारण स्थिति निरन्तर बद से बदतर होती जा रही है। राष्ट्रीय गंगा नदी अधिकार अधिनियम खास तौर से उन उपायों को दर्शाता है, जिनका निर्माण ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए किया गया है, ताकि हमारी राष्ट्रीय नदी व 500 मिलियन लोग जिनका जीवन इस पर निर्भर है, अपने अस्तित्व को कायम रख सके।

प्रस्तावना एवं उद्देष्य

भारत के लोग और सरकारें स्वीकार करती हैं कि–

- गंगा नदी भारतीय सभ्यता की आंतरिक व मुख्य बुनियाद है।
- गंगा नदी हमारे नागरिकों की जीविकोपार्जन व स्वास्थ्य के लिए मूलभूत जरूरत है तथा वनस्पतिक व जैविक विशिष्टता की निरन्तरता का आधार भी है।
- गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय पहचान की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न है।
  हमारी संस्कृति एवं दिनचर्या में पवित्र गंगा का विशिष्ट स्थान होने पर भी गंगा अति संकटग्रस्त पारिस्थितिकीतन्त्र के रूप में स्थापित हो चुकी है।

इस अधिनियम को अनूठा बनाने वाले प्रावधान

राष्ट्रीय गंगा नदी अधिकार अधिनियम (प्रस्तावित) –

- प्रकृति के लिए एक अधिकार जनित कानूनी संरचना पर आधारित।
- नवोदित पर्यावरणीय सुरक्षा यंत्र रचना को समाविष्ट करना, जिसमें सामुदायिक संचालन एवं एक समर्पित पुलिस बल भी सम्मिलत है।
- जल संरक्षण क्षेत्र, जैविक खेती क्षेत्र, निर्माण–निषेध क्षेत्र, खुला मल त्याग मुक्त क्षेत्र – संस्थापना के समीपवर्ती किनारों में सुदृढ़ प्रदूषण निरोधी संरचना का निर्माण करना, ताकि गंगा नदी के स्वच्छ व अविरल प्रवाह को सुनिष्चित किया जा सके।
- सुनिष्चित करना कि कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
- कानून का उल्लंघन करने वाले को पुनः पर्यावरणीय उपचार के लिए आर्थिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाये।

- भ्रष्टाचार विरोधी सख्त पृथक कानूनी पैरा का निर्माण किया जाये।

वर्तमान पर्यावरणीय कानून कम प्रभावी क्यों?

वर्तमान पर्यावरणीय कानून, जो अनुज्ञेय नुकसान की मात्रा को नियमित करते हैं और जो पारिस्थितिकीतंत्र में पाये जाते हैं, वे विशेष महत्व देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियाँ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखी जाती हैं।

समरूपी पर्यावरणीय कानून के तहत प्रबन्धन होने के कारण सम्पूर्ण दुनिया का पारिस्थितिकीय तंत्र विघटन का सामना कर रहा है। मनुष्य और प्रकृति के बीच मूलतः एक नया रिश्ता स्थापित करने की निहायत जरूरत है, जो पारिस्थितिकीय तंत्र के अहस्तांतरणीय एवं अंतर्निहित अधिकारों को पहचानें तथा मानवीय व प्राकृतिक अंतर्निर्भरता को महत्व दे।

प्रकृति के लिए अधिकार निहित कानूनी संरचना–

राष्ट्रीय गंगा अधिकार अधिनियम, गंगा नदी के अहस्तांतरणीय व अंतनिर्हित अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है, जिसमें सहायक नदियों के अधिकारों के साथ–साथ भारत के लोगों के लिए एक स्वास्थ्य एवं समृद्ध नदी बेसिन के अधिकार भी सम्मिलित है। यह अधिनियम भारत के लोगों व उनकी सरकारों के उन अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है, जिनसे गंगा के अधिकारों की रक्षा व उनका क्रियान्वयन किया जा सके।

गंगा नदी के अधिकार तथा भारत के लोग –

नियमन से पर्यावरण संरक्षण के अधिकार विहित प्रणाली की ओर प्रस्थान, गंगा की सुरक्षा व संरक्षा के लिए एक साधन उपलब्ध कराने के साथ–साथ उनलाखों लोगों के अधिकारों को भी सुनिश्चित करेगा, जिनका जीवन गंगा नदी पर निर्भर है।

गंगा नदी अधिकार अधिनियम –

- गंगा के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा, ताकि गंगा का अस्तित्व, विकास व समृद्धि बरकरार रहे।
- लोगों को, समूहों को और सरकारों को उन शक्तियों से निहित करेगा, जिनसे न्यायालय में गंगा के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
- स्वच्छ व समृद्ध गंगा के लिए लोगों, पौधों, मछलियों व जानवरों के अधिकारों को दृढ़ता प्रदान करेगा।

- कोई भी गतिविधि जिससे गंगा के अधिकारों के अस्तित्व व विकास में संकट आये, उस पर नियन्त्रण करना।
- गंगा के अधिकारों के उल्लंघन के बदले में प्रदत्त कोई भी नुकसान का उपयोग उप पारिस्थतिकीतंत्र को प्राप्त करने में किया जाना चाहिए, जो नुकसान की स्थिति के पूर्व था।
- यह गंगा के अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा के लिए क्रियान्वयन तन्त्र को संस्थापित करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय पूर्ववर्ती नियम –

प्रकृति को अधिकार विहित कानूनी संरचना प्रदान करने वाले इसी प्रकार के कतिपय अधिनियमों को न्यूजीलैण्ड, अमेरिका तथा बोलिविया में मान्यता दी गयी है। एक्वाडोर के संविधान में प्रकृति के अधिकारों को संरक्षित करने वाला एक पृथक चैप्टर जोड़ा गया है।

एक. शीर्षक परिभाषा और अधिकार –

राष्ट्रीय गंगा नदी, भारत की जनता एवं प्राकृतिक पर्यावरण के अधिकार स्थापित करता है।

दो. प्रदूषण में कमी –

- प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों यथा औद्योगिक कचरा, ठोस कूड़ा करकट तथा सीवेज आदि पर अंकुश लगाना।
- गंगा नदी बेसिन को खुला मल–मूत्र परित्याग मुक्त क्षेत्र के रूप में स्थापित करना।

तीन. कृषि कार्य एवं जल संरक्षण

- जैविक कृषि क्षेत्र स्थापित करना, ताकि स्वच्छ जल के अधिकार को बनाये रखा जाये तथा पारिस्थतिकीय स्वास्थ्य को संवर्धित किया जा सके।
- अपने प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र में गंगा नदी के पारिस्थतिकीय तंत्रानुसार अविरल प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण क्षेत्र स्थापित करना।

चार. निर्माण पर प्रतिबन्ध

गंगा नदी के वृहद चक्रण परिक्षेत्र को संरक्षित रखने हेतु गंगा तट वाले क्षेत्र को निर्माण रहित क्षेत्र के रूप में सुनिश्चित करना।

पाँच. कार्यान्वयन तथा अधिनियम में निहित NGRBA के दायित्व –

- राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण बल स्थापित करना।

- राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथारिटी को अतिरिक्त शक्तियाँ व दायित्व प्रदत्त करना।

छह. जन सहयोग

नदी तंत्र को संचालित करने, प्राकृतिक क्षेत्र को पुनर्स्थापित करने तथा स्थानीय जन समुदाय को जागरुक करने हेतु जन समुदाय आधारित गंगा संरक्षण प्रणाली विकसित करना।

सात. भ्रष्टाचार से नुकसान, दण्ड व रोक

- पूर्ववर्ती अधिनियमों की तुलना में आर्थिक दण्ड की सीमा व कारागार की अवधि को बढ़ाना।
- पर्यावरणीय उपचार के लिए उल्लंघनकर्ता को आर्थिक रूप से जिम्मेदार ठहराना।
- भ्रष्टाचार विरोधी पृथक सख्त कानून का निर्माण करना।

राष्ट्रीय गंगा नदी अधिकार अधिनियम (प्रस्तावित) 2014
गंगा एक्शन परिवार द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा

प्रस्तावना

हम अपने जीवन और संस्कृति में माँ गंगा के अनुपम महत्व व विशिष्टता से भली–भाँति अवगत हैं कि वह हमारी सभ्यता की आधारभूत संरचना है। यह कि भारतीय जन मानस के स्वास्थ्य और जीविका का आधार है। यह वनस्पतिक एवं जैविक तत्वों की निरन्तरता कायम रखने में सहायक है। गंगा हमारी राष्ट्रीय पहचान का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न है। सभी इस तथ्य से भी अवगत हैं कि हमारे देश के नागरिकों के पास राष्ट्र का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी के रूप में ही है।

गंगा नदी की विशिष्टता को महत्व देते हुए भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में स्वीकार किया है तथा इसके प्रबन्धन के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी का गठन किया है।

गंगा नदी व उसके बेसिन को संरक्षित व पुनर्स्थापित करने के लिए वर्तमान के पर्यावरणीय कानून सार्थक सिद्ध नहीं हुए और न ही पर्याप्त हैं।

अतः अब इस अधिनियम का निर्माण इस उद्देश्य से किया जाता है कि –

- गंगा के अस्तित्व को यथावत बनाये रखने, इसके वृहद चक्रण को पुनर्जनित करने, इसकी संरचना व क्रियाओं को जारी रखने तथा विकास की प्रक्रिया को सुनिश्चित रखने हेतु गंगा नदी व गंगा नदी बेसिन के मौलिक व अहरणीय अधिकारों को निर्मित करना।
- गंगा नदी एवं गंगा नदी बेसिन के स्वास्थ्य व संवर्धन हेतु प्राकृतिक पर्यावरण एवं भारतीय लोगों के अधिकार सुनिश्चित करना।
- गंगा नदी एवं गंगा नदी बेसिन के अधिकारों को बल प्रदान करने हेतु भारत के लोगों एवं सरकार के प्राधिकार को सुरक्षित करना।
- गंगा नदी एवं उसके बेसिन को स्वस्थ व पुनर्जीवित करना।
- गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में पहचान देना। राष्ट्रीय गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों को राष्ट्रीय धरोहर स्थल कीमान्यता प्रदान करना तथा समस्त प्रदत्त लाभों के साथ राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देना।
- भारत के 67वें गणतन्त्र दिवस के अवसर पर संसद द्वारा इसे निम्न रूप से निर्मित किया जायेगा।

अध्याय एक

धारा एक. – शीर्षक

- इस अधिनियम का शीर्षक होगा "राष्ट्रीय गंगा नदी अधिकार अधिनियम – 2014"

धारा दो. – उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र –

- यह अधिकार प्रदान करने वाला अधिनियम है, जिसका उद्देष्य गंगा नदी एवं गंगा नदी बेसिन के अहस्तांतरणीय व मौलिक अधिकारों की स्थापना करना है। गंगा के स्वास्थ्य व सजीवता को पुनर्स्थापित करना है। स्वास्थ्य व अविरल गंगा एवं गंगा नदी बेसिन के लिए भारतीय लोगों के प्राकृतिक अधिकार सुनिश्चित करना। इन अधिकारों की रक्षा एवं इनको लागू करने के लिए भारत के लोगों तथा भारत की सरकार को प्राधिकृत करना। गंगा नदी को राष्ट्रीय गंगा नदी, राष्ट्रीय विरासत स्थल तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में पहचान देना।

धारा तीन. – क्रियान्वयन

- राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत की गयी तिथि के दिन से अधिनियम लागू हो जायेगा।

अध्याय दो

परिभाषायें

- **राष्ट्रीय गंगा नदी**–इस अधिनियम के लिए, राष्ट्रीय गंगा नदी, अब से गंगा नदी अथवा गंगा नदी बेसिन में सम्पूर्ण लम्बाई, गंगा नदी की सभी सहायक नदियाँ तथा इसकी मुख्य तीन धारायें अलकनन्दा, मन्दाकिनी एवं भागीरथी, चाहे प्रवाह में हो अथवा सूखी, अपने उद्गम ग्लेशियर से रुद्रप्रयाग एवं देवप्रयाग में संगम स्थल तक तथा देवप्रयाग से सागर तक की मुख्य धारा तथा जल एवं प्राकृतिक ईको सिस्टम व एकीकृत अन्तनिर्भर नदी बेसिन प्राकृतिक प्रवासी आदि शामिल हैं।
- **पारिस्थितिकी अधिकारों का आसन्न उल्लंघन** – इसके अन्तर्गत प्रायोजित सरकारी एवं गैर सरकारी वे गतिविधियाँ शामिल हैं, जिससे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान हो, खास तौर से गंगा नदी बेसिन से जुड़ा तन्त्र।
- **कानूनी अर्जी लगाने वाला प्रार्थी** –कानूनी अर्जी लगाने वालों में कोई व्यक्ति, लोग, समुदाय, राष्ट्रीयता, राज्य सरकार, नगरपालिका, संघीय क्षेत्र अथवा भारतीय गणतंत्र के अन्दर का कोई संगठन हो सकता है।

- **अधिकारों का उल्लंघन –** अधिकारों का उल्लंघन एक क्रियाकलाप है, जो गंगा रिवर बेसिन अथवा कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र (जिससे बेसिन के अस्तित्व की सुरक्षा हो, जो अपना वृहद चक्रण उत्पन्न कर सके, अपनी संरचना निर्मित कर सके, अपने कार्य व विकास का रूप विकसित कर सके) की क्षमता को बाधित करता है।

अध्याय तीन

अधिकार

धारा एक. –राष्ट्रीय गंगा नदी, भारत की जनता एवं प्राकृतिक पर्यावरण के अधिकार।

राष्ट्रीय गंगा नदी के अधिकार –राष्ट्रीय गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ, धारायें, पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके बेसिन के प्राकृतिक प्रवासियों में मौलिक एवं अहरणीय अधिकार निहित हैं, जिससे कि वे अपने अस्तित्व को कायम रख सकें, फल फूल सकें, अपना वृहद चक्रण निर्मित कर सकें, अपनी संरचना कर सकें, अपनी विकासात्मक प्रक्रिया को प्रदूषण रहित बना सकें। राष्ट्रीय गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ व धारायें बाधा मुक्त प्रवाह का अधिकार रखती हैं। प्रवाह में आने वाली रुकावटें स्थलीय जल के संचरित होते मैदानी बाढ़, प्राकृतिक नदी विस्तार में पारिस्थितिकीयुक्त जल प्रवाह बनाने में बाधा उत्पन्न करती है।

1. **शुद्ध जल का अधिकार –**गंगा नदी बेसिन, पारिस्थितिकी तंत्र एवं वहाँ रहने वाले प्राकृतिक प्रवासियों को वहाँ के प्राकृतिक जल चक्रण से जल के प्रयोग, संरक्षण व टिकाऊ पहुँच का मौलिक एवं अहरणीय अधिकार प्राप्त है। नदी बेसिन का यह जल चक्र जीवन के लिए जरूरी शुद्ध जल उपलब्ध कराता है। गंगा नदी बेसिन में रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र प्राकृतिक जल चक्र सेजल के प्रयोग, उपभोग तथा संरक्षण का मौलिक व अहरणीय अधिकार प्राप्त है।

2. **प्रकृति व जनता के अधिकार –**पारिस्थितिकी तंत्र एवं क्षेत्रीय प्राकृतिक प्रवासी समुदायों में दलदल भूमि,धारायें, नदियाँ, एक्वीफर्स व अन्य जल–तंत्र सम्मिलित हैं और केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गंगा नदी बेसिन को भी शामिल करता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र व समुदायों को अपने अस्तित्व, विकास, अविरल जल प्रवाह एवं प्रदूषण रहित वृहद चक्रण विकसित करने का मौलिक व अहरणीय अधिकार प्राप्त है। भारत की जनता को स्वस्थ एवं शुद्ध पर्यावरण का मौलिक एवं अहरणीय अधिकार प्राप्त है, जिसमें स्वस्थ, संवर्धन, अविरलता एवं प्रदूषण रहित गंगा नदी एवं गंगा नदी बेसिन का अधिकार भी सम्मिलित है।

3. **जन अधिग्रहीत भूमि पर स्व क्रियान्वयन व विस्तारण के रूप में अधिकार**—इस अधिनियम द्वारा सुरक्षित एवं वर्णित सभी अधिकार स्वयं द्वारा क्रियान्वित किये जायेंगे। इन अधिकारों को सरकारी व गैर सरकारी अभिकर्ताओं के विरुद्ध लागू किया जायेगा। इस अधिनियम द्वारा संरक्षित सभी अधिकारों का विस्तार उन पारिस्थितिकी तंत्र व प्राकृतिक समुदायों तक होगा, जो उस भूमि में रहती है अथवा उस जल अधिगृहीत भूमि पर निर्भर है।

अध्याय चार

प्रदूषण एवं निष्कर्षण

धारा 1 —सभी प्रदूषणजनित गतिविधियों पर अंकुश।

1. **दण्डनीय अपराध** —गंगा नदी, उसकी सहायक नदियों एवं जल धाराओं में जान–बूझकर किसी पदार्थ को डालना या एकत्रित करना, जिसमें कि ठोस व्यर्थ पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, सीवेज, पशुओं अथवा मनुष्य का मृत शरीर, औद्योगिक कचरा, नगरपालिका का व्यर्थ कचरा, चिकित्सालय अथवा रसोई का बचा व्यर्थ पदार्थ भी शामिल है, को इस अधिनियम में वर्णित एवं संरक्षित अधिकारों की रक्षा के सन्दर्भ में अपराध माना जायेगा, जो इस अधिनियम **पाँच. कार्यान्वयन तथा अधिनियम में निहित NGRBA के दायित्व** के तहत दण्डनीय होगा और लागू किया जायेगा। इसमें एक अपवाद यह है कि धार्मिक गतिविधियों में अर्पित पदार्थ, पर्यावरणीय सुरक्षा उपचार से जुड़ी वस्तुयें या पदार्थ तथा पूर्ण रूप से जले मानव शरीर के अवशेष को डाला जा सकेगा।

धारा 2– खुला मल मूत्र त्याग मुक्त क्षेत्र की स्थापना व रखरखाव

1. **संस्थापना**—रोग जनित पदार्थों से पारिस्थितिकी तंत्र व लोगों के अधिकारों की रक्षा हेतु सम्पूर्ण गंगा नदी बेसिन क्षेत्र को इस अधिनियम के तहत खुला मल मूत्र त्याग मुक्त क्षेत्र के रूप में नामित किया जायेगा। सभी आगन्तुकों व निवासियों को शिक्षित व प्रेरित करने के लिए हर प्रकार के सम्भावित कदम उठाये जायेंगे, ताकि स्वास्थ्य संवर्धन के लिए खुले में मल–मूत्र त्याग सम्बन्धी किसी भी प्रकार के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके, जिन लोगों को सैनेटरी सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोगों को वृहद स्तर पर शौचालय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। गंगा नदी बेसिन क्षेत्र में आने वाले सभी आगन्तुकों व स्कूलों के लिए शौचालय की सुविधा एवं रखरखाव का कार्य उपयुक्त कोष व देखरेख द्वारा की जायेगी।

2. **खुला मल मूत्र त्याग मुक्त क्षेत्र का रखरखाव –** गंगा नदी बेसिन सैनिटेशन कोष की स्थापना की जायेगी, जिसका उपयोग किसी एक या सभी जन–शौचालयों या उस क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में स्थापित शौचालयों के दैनिक रखरखाव, स्वच्छता व नियमित रूप से जन शौचालयों की मरम्मत हेतु किया जायेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सुविधायें सही ढंग से संचालित हो रही हैं। सभी शौचालयों में जन उपयोग हेतु साबुन की व्यवस्था भी की जायेगी। इसके अतिरिक्त स्वच्छता एवं हाईजिन से सम्बन्धित शिक्षाप्रद सद्वाक्य भी लिखे जायेंगे।

3. **खुला मल मूत्र त्याग मुक्त क्षेत्र का निरीक्षण –** एक गंगा नदी बेसिन सैनिटेशन फोर्स का गठन किया जायेगा तथा इस अधिनियम के तहत वित्तीय कोष भी उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि सभी शौचालयों का त्रैमासिक निरीक्षण किया जा सके तथा नियमित रूप से शौचालयों की संख्या की गिनती की जा सके कि इस अधिनियम के अनुकूल है या नहीं। यदि अनुकूलता नहीं पायी जाती तो 30 दिन के अन्दर त्वरित सुधारात्मक क्रियाकलाप प्रारम्भ किये जायेंगे। इन कार्यों में जन जागरण नवीनीकरण व वस्तु को बदलने का कार्य सम्मिलित हैं, किन्तु यही एकमात्र कार्य नहीं होगा।

धारा 3 – प्रावधान एवं *ओ* तथा *एम* सीवर कवरेज

1. **सीवर उपचार सुविधाओं का प्रावधान –** धारा 1 से 5 तक उल्लिखित सभी नगरपालिकाओं को पूर्ण सीवेज ट्रीटमेंट सुविधा प्रदान की जायेगी, ताकि मानव द्वारा निष्कर्षित व अन्य उपयोगी व्यर्थ पदार्थों का पूर्ण उपचार किया जा सके, भले ही यह पदार्थ घरों से व्यावसायिक स्थलों अथवा इमारतों से निःस्रावित हो रहा हो। किसी भी प्रकार के मानव निर्मित व्यर्थ वस्तु को गंगा नदी में छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और न ही इसकी सहायक नदियों में जब तक कि इसको पूर्ण रूप से शोधित न कर दिया जाये।

2. **कथित सुविधाओं का क्रियान्वयन व रखरखाव –** किसी एक अथवा सभी सीवेज उपचार सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का कार्यान्वयन, रखरखाव व प्रबन्धन की पूर्ण वित्त व्यवस्था भारत सरकार व उपयुक्त राज्य के हर विभाग द्वारा की जायेगी। कथित परिचालन, रखरखाव व प्रबन्धन की देखरेख एवं क्रियान्वयन पर्याप्त स्टॉफ द्वारा की जायेगी।

सभी सीवेज ट्रीटमेंट सुविधाओं का पूर्ण–परिचालन हर समय होना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया स्थापित की जायेगी कि किसी भी प्रकार का बिना शोधित व्यर्थ पदार्थ गंगा नदी बेसिन, एक्वीफर, जिसमें गंगा व यमुना नदी भी शामिल है, में न छोड़ा जाये। बिना शोधित व्यर्थ पदार्थ छोड़े जाने पर दण्ड का भागीदार होगा, जैसे कि इस अधिनियम के अध्याय XI में कहा गया है।

धारा 4 – निष्कर्षण की सीमा

1. **जल संरक्षण परिक्षेत्र का निर्माण –** बृहद प्राकृतिक चक्रण, संरचना, क्रियायें एवं विकासात्मक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए गंगा नदी, इसकी सहायक नदियों व जलधाराओं के सम्मुख वाली भूमि को ***जल संरक्षण क्षेत्र*** के रूप में घोषित की जायेगी।

   उक्त क्षेत्र को इस ढंग से विकसित किया जायेगा कि जल निष्कर्षण पर अंकुश लगे तथा जल संरक्षण वाले कार्यों को बढ़ावा मिले, जिसमें ***जल–बचाव सिंचन*** क्रिया में 51 प्रतिशत नदी जल बहाव को पारिस्थितिकी अनुकूल सुनिश्चित किया जा सके।

धारा 5 – भौगोलिक संसाधनों का संरक्षण

1. **खनन एवं अन्य निष्कर्षण पर प्रतिबन्ध –** इस अधिनियम द्वारा सुरक्षित एवं वर्णित अधिकारों की सुरक्षा के लिए, गंगा नदी बेसिन क्षेत्र में खनन, बालू का निष्कर्षण, चट्टान या अन्य प्रकार के खनिजों एवं भौगोलिक संसाधनों का निष्कर्षण गैर कानूनी होगा। इस सेक्शन का किसी भी प्रकार से उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा।

अध्याय पाँच

कृषि कार्यों के विषय में

धारा 1 – जैविक खेती

1. **जैविक खेती क्षेत्र की स्थापना –** स्वच्छ जल के अधिकार को बनाये रखने के लिए गंगा नदी, उसकी सहायक नदियाँ व धाराओं के किनारे 500 मीटर के क्षेत्र को जैविक, खेती परिक्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया जायेगा, जिसमें रासायनिक कीटनाषकों व उवर्रक खादों का प्रयोग प्रतिबन्धित किया जायेगा।

धारा –2 गंगा नदी बेसिन जैविक खेती क्षेत्र की स्थापना एवं जल संरक्षण क्षेत्र, कोष, शैक्षिक विस्तार एवं विपणन सहायता कार्यक्रम – गंगा नदी, उसकी सहायक नदियों

एवं धाराओं के दोनों तरफ 500 मीटर तक कृषि की आर्थिक सम्भावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक कोष शैक्षिक क्रियायें एवं विपणन से सम्बन्धित गतिविधियों को विकसित किया जायेगा। स्पष्ट व विस्तृत रूप से इनका प्रचार–प्रसार किया जायेगा और इस क्षेत्र में कृषि करने वाले सभी किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। जैविक खेती क्षेत्र की सभी अथवा किसी एक कृषक को जैविक खेती क्षेत्र के विषय में जानकारी दी जायेगी तथा विपणन (मार्केटिंग) एवं आर्थिक जरूरत के लिए पूरी सहायता प्रदान की जायेगी।

अध्याय छह

निर्माण पर निषेध

धारा 1 – निर्माण मुक्त क्षेत्र की स्थापना

गंगा नदी, उसकी सहायक नदियों एवं धाराओं के क्षेत्र में वृहद प्राकृतिक चक्रण संरचना व विकासात्मक प्रक्रियाओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से 200 मीटर के क्षेत्र में नये स्थायी निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अनुसार मुक्त क्षेत्र होगा, किन्तु वैज्ञानिक जाँच–पड़ताल, जन स्वास्थ्य व सुरक्षा तथा गैर आवासीय धार्मिक प्रयोग के लिए निर्माण किया जा सकेगा।

अध्याय सात

क्रियान्वयन

धारा 1

1. यह अधिनियम किसी संघ, राज्य अथवा पंचायत को इन कानूनों को निष्प्रभावी करता है, जो गंगा नदी बेसिन, भारत की जनता अथवा प्राकृतिक पर्यावरण के अधिकारों को प्रभावित करते हैं।
2. अधिनियम लागू होने के 180 दिन के अन्दर, संसद उन सभी संघीय कानूनों का पुनरावलोकन करेगी, जो गंगा नदी बेसिन को प्रभावित करते हैं तथा उन्हें इस अधिनियम के अनुवर्ती बनायेगी।
3. अधिनियम के निर्मित होने के 180 दिनों के अन्दर, संसद एक पुनर्स्थापित योजना प्राधिकृत करेगी, ताकि गंगा नदी बेसिन से सम्बन्धित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु समुचित एवं पर्याप्त कोष एकत्रित किया जा सके।
4. संसद, राज्य अथवा पंचायत सरकारों द्वारा निर्मित कोई भी कानून, इस अधिनियम द्वारा निर्मित अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करेगा।

अध्याय आठ

प्रवर्तन

धारा 1 – वादी पक्ष द्वारा प्रवर्तनः

1. कोई भी वादी पक्ष जिसमें कोई व्यक्ति, लोग, समुदाय, राष्ट्रीयता, राज्य सरकार, नगर व पंचायत सरकार, संघीय क्षेत्र अथवा संगठन उपयुक्त न्यायिक क्षेत्र वाली अदालत में वाद दायर कर सकता है, ताकि निश्चित किया जा सके कि इस अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अधिकार अथवा माँग का किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जा सकता है अथवा इसके द्वारा उल्लंघन किया गया है।

2. कोई व्यक्ति, लोग, समुदाय, राष्ट्रीयता, राज्य सरकार, नगर पंचायत सरकार, संघीय क्षेत्र या संगठन, यह पता लगाने के लिए कि क्या इस अधिनियम द्वारा स्थापित कोई अधिकार का उल्लंघन किया गया है अथवा किया जायेगा, प्राधिकार के साथ मुकद्दमा दायर कर सकता है। 30 दिनों के अन्दर इसका निर्णय जारी किया जायेगा। यदि अथॉरिटी को लगता है कि अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या किया जायेगा, तबवह उपयुक्त न्यायिक क्षेत्र वाली अदालत में 30 दिनों के अन्दर मुकद्दमा दायर करेगी।

धारा 2: संघीय सरकार द्वारा प्रवर्तनः

1 राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी यह निश्चित करने के लिए किइस अधिनियम द्वारा स्वीकृत अधिकारों का किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया गया है या किया जायेगा, उपयुक्त न्यायिक क्षेत्र वाली अदालत में मुकद्दमा कर सकती है तथा किसी प्रकार के लिए उचित उपचार की माँग कर सकती है। किसी सरकारी संस्था, एजेन्सी अथवा इन संस्थाओं या एजेंसी के लिए कार्यरत कोई एजेंट को प्रवर्तन की यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

2 इस अधिनियम को लागू करने के लिए अथॉरिटी के पास आपात शक्ति भी होगी। यदि किसी अधिकार का उल्लंघन जारी है तो अथॉरिटी उल्लंघन के उपचार के लिए त्वरित कार्यवाही करेगी या भविष्य में उल्लंघन को रोकेगी। त्वरित कार्यवाही में कानूनी कार्यवाही या अथॉरिटी को प्रदत्त अधिकार के तहत अपने कर्मचारी के माध्यम से पुलिस कार्यवाही करायेगी, ताकि उल्लंघन की पूर्ति किया जा सके या भविष्य में उल्लंघन को रोका जा सके।इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों के

प्रवर्तन के लिए किसी भी वादी पक्ष द्वारा लायी गयी क्रियाकलाप में अथॉरिटी शामिल हो सकती है।

3 संघीय सरकार किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी परियोजना या गतिविधियों का संचालन, क्रियान्वयन, प्राधिकृत अथवा स्वीकृति प्रदान नहीं करेगी, जिनसे इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों अथवा मांगों का उल्लंघन होता है, अथवा उल्लंघन की शक्ति निहित हो।

धारा 3: न्यायालय की शक्तियाँ :

1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार होगा कि वे गंगा नदी बेसिन के अधिकारों के निरन्तर उल्लंघन का आदेश पारित करें। भावी कदमों के विषय में निर्देश दें जो गंगा नदी बेसिन के अधिकारों का उल्लंघन कर सकें तथा उपयुक्त अंतरिम कदम उठायें, जिनसे गंगा नदी बेसिन की रक्षा हो सके। यदि इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों का निकट भविष्य में उल्लंघन की प्रबल सम्भावना हो। उपरोक्त उल्लिखित न्यायालय एक स्वतन्त्र पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त कर सकते हैं, जो उसे पारिस्थितिकी क्रियाओं तथा उनकी भरपाई के लिए जरूरी क्षति की मात्रा के विषय में जानकारी प्रेषित करेगा।
2. वादी की प्रार्थना को सुनने वाले किसी भी न्यायालय को अधिकार होगा कि वह गंगा नदी बेसिन के अधिकारों का अनवरत अधिग्रहण करने का आदेश पारित करे, भावी कदमों के विषय में निर्देश दे, जो गंगा नदी बेसिन के अधिकारों का अधिग्रहण कर सके तथा उपयुक्त अंतरिम कदम उठाये, जिनसे गंगा नदी बेसिन की रक्षा हो सके। यदि इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों का निकट भविष्य में अधिग्रहण की प्रबल सम्भावना हो। न्यायालय एक स्वतन्त्र पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है, जो उसे पारिस्थितिकी क्रियाओं तथा उसकी भरपाई के लिए जरूरी क्षति का यात्रा के विषय में जानकारी प्रेषित करेगा।
3. गंगा नदी बेसिन के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों को निर्देशित करने वाले कदम जो अथॉरिटी द्वारा लिये गये हों अथवा भविष्य की उन गतिविधियों को निर्देशित करने वाले कदम जिनसे गंगा नदी बेसिन के अधिकारों का उल्लंघन होता हो, को संयुक्त रूप से एक कार्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा। यदि किसी वादी पक्ष के द्वारा मामला न्यायालय में विचाराधीन हो और इस बात का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जायेगा कि खास परिस्थितियों में नुकसान के भरपाई के लिए तथा पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने हेतु क्षतिपूर्ति के प्रयोग के लिए नगर पंचायत सरकार, राज्य सरकार अथवा अथारिटी में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त होगा।

4. गंगा नदी एवं उसके किसी पारिस्थितिकी तंत्र अथवा प्राकृतिक प्रवासी समुदायों जिसमें बेसिन भी सम्मिलित है, को उनके पूर्व क्षति रहित अवस्था के स्तर तक लाने के लिए आवश्यक हर्जाना के सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा और उस हर्जाने की भरपाई प्रतिवादी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट सरकारी अभिकरण को दिया जायेगा। हर्जाने का उपयोग केवल पारिस्थितिकी तंत्र अथवा प्राकृतिक समुदायों को पूर्व स्थिति में लाने के लिए ही किया जायेगा। इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों को उल्लंघन करने वाले को दण्डित करने हेतु भी हर्जाने का निर्णय दिया जायेगा। कानूनी फीस वादी को प्रदान की जायेगी, जो इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों को लागू करने अथवा अभियोग चलाने में सहायक रहा है।

अध्याय नौ

धारा 1 – राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी : इस अधिनियम को क्रियान्वित करने का दायित्व राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी का होगा।

धारा 2 – पारिस्थितिकीय गुणों का रेखांकन–

1. किसी परियोजना, प्रगति अथवा क्रियाकलापों में गंगा नदी बेसिनगंगा नदी क्षेत्र में एवं गंगा नदी बेसिन में प्रत्येक वर्ग के पारिस्थितिकी तंत्र व प्राकृतिक समुदाय, जो इसे पूर्ण अस्तित्व के योग्य बनाता है, संवर्द्धन करता है, इसके अविरल प्रवाह को बनाये रखता है तथा प्रदूषण रहित वृहद चक्रण, संरचना, क्रियायें व विकासशील प्रक्रियाओं को जीवित रखता है, के आवश्यक गुणों को रेखांकित करने हेतु अथॉरिटी ईकोलॉजिस्ट नियोजित करेगी। इन रेखांकित आलेखों को संकलित किया जायेगा तथा इन्हें अथॉरिटी के नियमन एवं आंतरिक मार्गदर्शन के रूप में अपनाया जायेगा।

धारा 3 – एन. जी. आर. बी. ए. द्वारा प्रवर्तन

1. अथॉरिटी उन प्रवर्तन क्रियाओं को सूचीबद्ध करेगी, जिनसे ऐसे लोगों से क्षतिपूर्ति की राशि की माँग की जाती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं। उन प्रवर्तन क्रियाओं द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग गंगा नदी बेसिन के पारिस्थितिकीतंत्र व प्राकृतिक समुदाय को पूर्व स्थिति में लाने के लिए किया जायेगा। जिम्मेदार पक्ष को निर्धारित करने तथा उसको क्षतिपूर्ति की राशि देने के लिए दवाब डालेगी, ताकि पारिस्थितिकीतंत्र व प्राकृतिक समुदाय की भरपाई की जा सके।

2. **रेखांकन के पहले प्रवर्तन** –रेखांकन का कार्य पूर्ण होने के पूर्व प्रवर्तन की कार्यवाही वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों पर निर्भर रहेगी, जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित अधिकारों व मांगों की पूर्ति के लिए आवश्यक है।

3. **प्राप्ति एवं प्रवर्तन** –कार्यवाही के लिए प्रार्थना की प्रतिक्रिया अथवा अथॉरिटी द्वारा प्रवर्तन के लिए की गयी कार्यवाही की जाँच में रेखांकन का प्रयोग किया जायेगा। उन रेखांकनों को चुनौती देने वाला कोई भी व्यक्ति को स्वयं सिद्ध करना होगा कि रेखांकन अवैध है और यह कि उनके कार्यवाही द्वारा प्रभावित गुण इस अधिनियम के अध्यादेश को पूरा करने का आवश्यक गुण नहीं है।

धारा 4 – भावी उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में संघीय रूप से क्रियान्वित प्राधिकृत अथवा स्वीकृत परियोजनाओं का अथॉरिटी द्वारा पुनरावलोकन –

1. **परियोजना पुनरावलोकन** –अथॉरिटी संघीय सरकार द्वारा विचाराधीन उन परियोजनाओं, प्रगतियों अथवा कार्यकलापों का पुनरावलोकन करेगी, जिनका प्रभाव गंगा रिवर बेसिन पर पड़ता है और जिनसे इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों एवं मांगों का उल्लंघन होता है।

2. **पुनरावलोकन हेतु परियोजनाओं का निर्धारण एवं सूचना** –क्रियान्वयन, प्राधिकृतीकरण अथवा स्वीकृति के लिए विचाराधीन क्रियाकलाप, प्रगतियों अथवा सरकारी एवं गैर सरकारी परियोजनाओं की संघीय अभिकरणों से अथॉरिटी को त्वरित सूचना भेजी जायेगी। अथारिटी इस बात का निर्धारण करेगी कि क्याकिसी परियोजना, प्रगति अथवा क्रियाकलापों में गंगा नदी बेसिन को प्रभावित करने की क्षमता है। यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है तो अथारिटी उन परियोजनाओं, प्रगतियों, कार्यकलापों का इस अधिनियम द्वारा स्थापित मांगों एवं अधिकारों के उल्लंघन की निहित क्षमता का पुनरावलोकन करेगी।

3. **परियोजना प्रत्यादेश**–यदि अथॉरिटी को लगता है कि इस अधिनियम द्वारा स्थापित मांगों एवं अधिकारों का उल्लंघन प्रस्तावित किसी परियोजना, प्रगति अथवा गतिविधि के कारण हुआ है, तब संघीय सरकार उन परियोजनाओं, प्रगतियों एवं क्रियाकलापों को न तो क्रियान्वित करेगी, न प्राधिकृत करेगी और न ही अनुमति प्रदान करेगी।

धारा – 5 गंगा नदी बेसिन संवर्द्धन के आंकड़े

1. **गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी** –गंगा नदी बेसिन के स्वास्थ्य व सम्वर्द्धन से सम्बन्धित जन–सुलभ आंकड़ों का रखरखाव करेगी तथा निरंतरता उनका नवीनीकरण भी करेगी। ये आंकड़े प्राथमिक पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान करेंगे, गंगा नदी बेसिन में प्राकृतिक समुदायों की परख करेंगे, उनको मान्यता देंगे, जिनका मानवीय क्रियाकलापों द्वारा क्षय किया गया है तथा इसके फलस्वरूप रेखांकित आंकड़ों का प्रयोग करके गंगा नदी बेसिन, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक समुदायों के सामान्य स्वास्थ्य का निर्धारण करेंगे।

2. **अधिकारों के उल्लंघन के पूर्व** –गंगा नदी बेसिन के पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक समुदायों के पतन के जिम्मेदार लोगों से हर्जाना प्राप्त करने हेतु अथॉरिटी प्रवर्तन कार्यवाही पेश कर सकती है। प्राप्त हर्जाने का प्रयोग पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक समुदायों को पूर्व स्थिति में लाने के लिए करेगी, ताकि इस अधिनियम के अधिदेय को प्राप्त किया जा सके। जिम्मेदार पक्ष का निर्धारण करने के लिए तथा उन पक्षों से हर्जाना प्राप्त करने हेतु अथॉरिटी को शक्तिशाली बनाया जायेगा।

3. **आंकड़ों की उपलब्धता** –अथॉरिटी पारिस्थितिकीय आंकड़ों को जनता के लिए इण्टरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध करायेगी। ये आंकड़े निजी क्रियाकलापों के उपयोग हेतु उपलब्ध होंगे।

धारा – 6 राष्ट्रीय गंगा नदी सुरक्षा बल

1. **राष्ट्रीय गंगा नदी सुरक्षा बल की स्थापना** –अथॉरिटी में राष्ट्रीय गंगा नदी सुरक्षा बल की स्थापना की जायेगी, जिसे राष्ट्रीय गंगा नदी सुरक्षा पुलिस के नाम से जाना जायेगा और अब से गंगा नदी पुलिस कहा जायेगा।

2. **गंगा नदी पुलिस का उद्देश्य** –गंगा नदी पुलिस का उद्देश्य इस अधिनियम द्वारा स्थापित गंगा नदी बेसिन के अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षा है। यह पुलिस इस अधिनियमों के सम्भावित उल्लंघन के बारे में जाँच पड़ताल संचालित करेगी। ऐसी जाँच पड़ताल को क्रियान्वित करने के लिए गंगा नदी पुलिस को छानबीन करने, किसी दोषी व्यक्ति, अधिकारी, संस्था के सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा।

3. **गंगा नदी सुरक्षा थाना** –गंगा नदी सुरक्षा थानें अब से **"सुरक्षा थाना"** की स्थापना की जायेगी, ताकि कार्यक्रम लागू करने के केन्द्र उपलब्ध कराये जा सकें एवं गंगा नदी पुलिस कर्मियों का विश्लेषण किया जा सके। सुविधाओं में जल गुणवत्ता विश्लेषण प्रयोगषाला एवं प्रतिकेन्द्र एक विश्लेषक उपलब्ध होगा। विश्लेषक का कार्य होगा कि वह जाँव पड़ताल से सम्बन्धित कदम उठाये, जो शिकायत के परिप्रेक्ष्य हो तथा जल गुणवत्ता का नियमित अध्ययन करे।

4. **प्रवर्तन एवं जाँच पड़ताल हेतु सन्दर्भित सूचना** – इस अधिनियम के अध्याय 5 के धारा–1 के अन्तर्गत अथॉरिटी को प्राप्त जाँच पड़ताल की कार्यवाही से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र को, अथॉरिटी द्वारा गंगा नदी पुलिस को भेजा जायेगा।

5. **दायित्व** –गंगा नदी पुलिस, अथॉरिटी के प्रति जवाबदेय होगी और नियमित रिपोर्ट भेजेगी। यह रिपोर्ट जनता के लिए उपलब्ध होगी।

धारा – 7 संसद को रिपोर्ट

1. **रिपोर्ट को संसद में भेजना** –संसद के आग्रह पर अथॉरिटी न्यायालय में विचाराधीन मामलों के विषय में संसद को जानकारी प्रदान करेगी तथा संसद के कहने पर संसद के सम्मुख उपस्थित होगी।

2. **संसद को वार्षिक रिपोर्ट** –प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को अथॉरिटी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें इस अधिनियम के तहत लाये जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, विचाराधीन कार्यों की प्रगति पर रिपोर्ट संलग्न होगी। यह रिपोर्ट इण्टरनेट पर जनता को निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।

अध्याय दस

सामुदायिक आवेष्टन

धारा 1 –सामुदायिक प्रवर्तन एवं निरीक्षण

1. **स्थापना** –गंगा नदी बेसिन एवं स्थानीय समुदायों के बीच अभिन्न रिश्तों को पहचानते हुए तथा गंगा नदी बेसिन के स्वास्थ्य सम्वर्द्धन को पुनर्स्थापित करने में सामुदायिक सम्मिलन को सुनिश्चित व प्रेरित करने के लिए, अथॉरिटी समुदाय व नागरिक प्रवर्तन एवं निरीक्षण के

लिए एक कार्यक्रम की स्थापना करेगी। इस कार्यक्रम का नाम गंगा सुरक्षा प्रणाली होगी, जिसे जी. पी. एस. भी कहा जायेगा। जी. पी. एस. के सदस्य के रूप में स्थानीय नागरिक जिन्हें जी. पी. एस. मॉनिटर के रूप में जाना जायेगा, क्षेत्र पर्यवेक्षक एवं गंगा नदी बेसिन के प्रबन्धक के रूप में कार्य करेंगे।

2. जी. पी. एस. मॉनिटर की योग्यता — सभी जी. पी. एस. मॉनीटर्स शिक्षित एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। वे किसी भी उद्योग, अभिकरण, लोग, संगठन अथवा संघ जो गंगा नदी बेसिन का गैर कानूनी कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, अथवा लाभ के लिए प्रयत्न करते हैं, से व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक गठजोड़ नहींकरेंगे। लघु स्तरीय पारिवारिक पशुबाड़ा व खेती तथा लघु स्तर पर घरात मिल्स इसके अपवाद रहेंगे।

3. जी. पी. एस. मॉनिटर की भूमिका एवं दायित्व —जी. पी. एस. मॉनीटर्स सम्पूर्ण गंगा नदी बेसिन का संचालन करेंगे। एक जी. पी. एस. मोनिटर्स की जिम्मेदारी होगी कि पूरे बेसिन में गंगा नदी व उसकी सहायक नदियों के 500 मीटर के क्षेत्र में प्रबन्ध नियोजन व निरीक्षण का कार्य करेगा, ताकि सम्पूर्ण बेसिन का निरीक्षण किया जा सके। ऐसा करते समय प्रत्येक जी. पी. एस. मॉनिटर प्रतिदिन अपने क्षेत्र को देखेगा तथा 500 मीटर क्षेत्र की लिखित व चित्रित साप्ताहिक विवरण प्रस्तुत करेगा। जी. पी. एस. द्वारा संचालित गतिविधियों में माह में दो बार जल गुणवत्ता विश्लेषण, कानून प्रवर्तन अधिकारियों से समन्वयन सम्मिलित है, ताकि सम्भावित उल्लंघन की सूचना प्रेषित की जा सके। मॉनीटर्स गंगा से जुड़ी जागरुकता के लिए जिम्मेदार होंगे तथा अपने समुदाय के साथ स्वयंसेवी गतिविधियों का भी संचालन करेंगे। अपने समुदाय के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर मॉनीटर्स सुरक्षात्मक तरीकों को लागू करने व रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होंगे, जिसमें जल संरक्षण वाले पौधों का वृक्षारोपण, खेती एवं गंगा नदी के किनारे से घास–फूस को हटाना भी शामिल है।

4. जी. पी. एस. केआंकड़ों का रखरखाव—जी. पी. एस. मॉनीटर्स के द्वारा एकत्रित आंकड़ों को इस अधिनियम द्वारा स्थापित डाटाबेस ऑफ गंगा रिवर बेसिन हेल्थ में एकत्रित किया जायेगा।

5. जी. पी. एस. मॉनीटर्स का प्रशिक्षण —अथॉरिटी द्वारा जी. पी. एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम की रचना व क्रियान्वयन किया जायेगा। इस कार्य में अन्य शासकीय अभिकरणों, शैक्षिक संगठनों, नागरिक संस्थाओं एवं एन. जी. ओ. की मदद ली जायेगी अथवा उनके साथ मिलकर कार्य किया जायेगा।

6. कार्यवाही एवं कानूनी निवेदन की प्रार्थना —इस अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के तहत मॉनीटर्स किसी भी कार्यवाही के लिए अथॉरिटी को प्रार्थना पत्र देंगे। वे वादी पक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन उपयुक्त न्यायिक क्षेत्र वाली अदालत में मुकद्दमा भी करेंगे, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या अधिकारों का उल्लंघन किया गया है अथवा किया जायेगा।

अध्याय ग्यारह

अपराध एवं दण्ड

धारा 1 —जो व्यक्ति सूचना देता है या एकत्रित करता है उसको प्रताड़ित करना, घूस देना, नुकसान पहुँचाना इस अधिनियम के तहत अपराध माना जायेगा। ऐसा अपराध करने वाले को सात वर्ष की सजा तथा 500 से 50 लाख रुपये तक का आर्थिक दण्ड दिया जायेगा। यदि अपराध स्वीकार कर लिया जाता है व सुधार के लिए लिखित रूप से क्षमा माँग ली जाती है तो सेक्शनल मॉनिटरिंग एक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का कार्यकारी अधिकारी सजा को माफ कर 500/— कर सकता है। इसमें कारागार की सजा कम भी हो सकती है और नहीं भी।

धारा 2 —यदि कोई निगम, निगम के अधिकारी, व्यक्ति तथा अन्य इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाये जातेहैं या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं, जिसमें वो क्रियाकलाप शामिल है, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है, जिनसे जल प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जल की गुणवत्ता में कमी आती है अथवा प्राकृतिक पर्यावरण का नुकसान होता है तो वे इस कार्यकलाप के कारण पारिस्थितिकी तंत्र व प्राकृतिक समुदायों को पहुँचे नुकसान की भरपाई के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होंगे तथा उन्हें 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक की सजा होगी और/अथवा एक लाख से लेकर 100 लाख तक का आर्थिक दण्ड अदा करना पड़ेगा।

धारा 3 —(दूसरे व तीसरे में कोई अन्तर नहीं है)

धारा 4 —बार—बार दोहराये जाने वाले और/अथवा लगातार किये जाने वाले अपराध के मामले में दिन व दिन अर्थ दण्ड लगाया जायेगा और यह प्रतिदिन लगाया जाने वाला दण्ड दुगना, तिगुना अथवा अधिक हो सकता है, यदि अपराध लगातार किया जाता है। यह अपराध की कठोरता पर निर्भर करता है। यह कि इसका कोई उपचार नहीं किया जाना चाहिए था तथा न ही किया गया है। इन अपराधों से गंगा नदी बेसिन, इसके जीवन स्वरूप तथा इसके आसपास के क्षेत्र को निरन्तर नुकसान पहुँचा है।

धारा 5 –निगम, उद्योग, सरकार तथा निजीप्रदूषणकर्ता एवं नुकसान पहुँचाने वालों से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स (चित्र) अथवा सूचनायें जनता के लिए इण्टरनेट पर उपलब्ध होगी। ऐसी सूचनाओं को न्यायालय तथा मीडिया को भी उपलब्ध कराई जायेगी तथा जन–जागरुकता अभियानों में इनका प्रयोग किया जायेगा।

अध्याय बारह

भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण

धारा 1 –अभियोजन –जन कर्मी, राजनीतिक नियोजी तथा चयनित अधिकारी वर्ग जो इस अधिनियम के प्रवर्तन व क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं वे भारत के एटॉर्नी जनरल द्वारा अभियोजन के अधीन होंगे। यदि वे उन कार्यकलापों या गतिविधियों में लिप्त हैं, पाये जाते हैं, जिनसे गंगा नदी बेसिन एवं इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसमें घूस लेना और देना भी शामिल है।

अध्याय तेरह

विनियोग

धारा 1

1. इस अधिनियम के पूर्ण प्रवर्तन व क्रियान्वयन के लिए जरूरी वार्षिक धन की व्यवस्था संसद करेगी।